न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी :– श्री राजेन्द्र कुमार (RAS)
अनुवान सुनिल कुमार बनाम ठडूराम आदि
वाद संख्या 08 सन् 2024

निर्णय दिनांक :– 30/5/2025

1. सुनिल कुमार पुत्र ईश्वरसिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) नि. ढ़ाणा पट्टा राजपुरा तह. तारानगर

—वादी—

बनाम

1. ठडूराम पुत्र पालाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढ़ाणा पट्टा राजपुरा तह. तारानगर
2. भंवरलाल पुत्र ठडूराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढ़ाणा पट्टा राजपुरा तह. तारानगर
3. कृष्णसिंह पुत्र ठडूराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढ़ाणा पट्टा राजपुरा तह. तारानगर
4. महावीरसिंह पुत्र ठडूराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढ़ाणा पट्टा राजपुरा तह. तारानगर
5. सत्यवीर पुत्र ठडूराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढ़ाणा पट्टा राजपुरा तह. तारानगर
6. राजेन्द्रसिंह पुत्र ठडूराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढ़ाणा पट्टा राजपुरा तह. तारानगर
7. लक्ष्मी देवी पुत्री ठडूराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढ़ाणा पट्टा राजपुरा तह. तारानगर
8. संतोष देवी पुत्री ठडूराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढ़ाणा पट्टा राजपुरा तह. तारानगर
9. प्रमेश्वरी देवी पुत्री ठडूराम जाति कुम्हार (प्रजापति) नि. ढ़ाणा पट्टा राजपुरा तह. तारानगर
10. बिमला पुत्री ठडूराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढ़ाणा पट्टा राजपुरा तह. तारानगर
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर जिला चूरू

—प्रतिवादीगण—

1. रामकुमार पुत्र धापा जाति कुम्हार (प्रजापति) नि. ढढेला तह. नोहर जिला हनुमानगढ़
2. गुड्डी देवी पुत्री धापा जाति कुम्हार (प्रजापति) नि. ढढेला तह. नोहर
3. उमा पुत्री धापा जाति कुम्हार (प्रजापति) नि. ढढेला तह. नोहर जिला हनुमानगढ़
4. रेशमी पुत्री धापा जाति कुम्हार (प्रजापति) नि. ढढेला तह. नोहर जिला हनुमानगढ़
5. प्रमेश्वरी पुत्री धापा जाति कुम्हार (प्रजापति) नि. ढढेला तह. नोहर जिला हनुमानगढ़
6. जयसिंह पुत्र सोनी देवी जाति कुम्हार (प्रजापति) नि. ददरेवा तहसील राजगढ़
7. माडूराम पुत्र सोनी देवी जाति कुम्हार (प्रजापति) नि. ददरेवा तहसील राजगढ़
8. रामेश्वर पुत्र सोनी देवी जाति कुम्हार (प्रजापति) नि. ददरेवा तहसील राजगढ़
9. शेराराम पुत्र सोनी देवी जाति कुम्हार (प्रजापति) नि. ददरेवा तहसील राजगढ़
10. झुंथाराम पुत्र सोनी देवी जाति कुम्हार (प्रजापति) नि. ददरेवा तहसील राजगढ़
11. जैता पुत्री सोनी देवी जाति कुम्हार (प्रजापति) नि. ददरेवा तहसील राजगढ़
12. सुमित्रा पुत्री सोनी देवी जाति कुम्हार (प्रजापति) नि. ददरेवा तहसील राजगढ़
13. अंगुरी देवी पुत्री सोनी देवी जाति कुम्हार (प्रजापति) नि. ददरेवा तहसील राजगढ़
14. राधाकृष्ण पुत्र केशर देवी जाति कुम्हार (प्रजापति) नि. दलपतपुरा तहसील नोहर
15. अमरसिंह पुत्र केशर देवी जाति कुम्हार (प्रजापति) नि. दलपतपुरा तहसील नोहर
16. ओमप्रकाश पुत्र केशर देवी जाति कुम्हार (प्रजापति) नि. दलपतपुरा तहसील नोहर
17. कुरड़ाराम पुत्र केशर देवी जाति कुम्हार (प्रजापति) नि. दलपतपुरा तहसील नोहर
18. सुभाष चन्द्र पुत्र केशर देवी जाति कुम्हार (प्रजापति) नि. दलपतपुरा तहसील नोहर
19. अशोक पुत्र केशर देवी जाति कुम्हार (प्रजापति) नि. दलपतपुरा तहसील नोहर
20. गुड्डी पुत्री केशर देवी जाति कुम्हार (प्रजापति) नि. दलपतपुरा तहसील नोहर
21. बिमला पुत्री केशर देवी जाति कुम्हार (प्रजापति) नि. दलपतपुरा तहसील नोहर
22. रामेती पुत्र केशर देवी जाति कुम्हार (प्रजापति) नि. दलपतपुरा तहसील नोहर

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

23. ईश्वरसिंह पुत्र ठडूराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढ़ाणा पट्टा राजपुरा तह. तारानगर
24. अनिता पुत्री ईश्वरसिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी ढ़ाणा पट्टा राजपुरा तह. तारानगर

—गौणप्रतिवादीगण—

दावा घोषणात्मक हस्ब दफा 88 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :—

1. श्री अशोक सिहांग एडवोकेट वास्ते वादी
2. श्री सूर्यप्रकाश सहारण एडवोकेट वास्ते प्रतिवादी संख्या 1 ता 11 व गौणप्रतिवादी संख्या 01 ता 24
3. राजपैरोकार वास्ते प्रतिवादी संख्या 11 तहसीलदार तारानगर

—:निर्णय:—

वादी द्वारा स्वर्गीय पाला का वंशवृक्ष अंकित कर प्रस्तुत किये गये इस वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा नं 117 तादादी 07.4732 हैक्टयेर, खसरा नं. 127 तादादी 0.8472 हैक्टेयर कुल तादादी 8.3204 हैक्टेयर रोही ढ़ाणा पट्टा राजपुरा तहसील तारानगर वादी के पड़दादा स्व. पाला पुत्र गौरू जाति कुम्हार निवासी ढाणा पट्टा राजपुरा तहसील तारानगर की खातेदारी भूमि रही है। स्व. पाला का स्वर्गवास हो गया। उनके स्वर्गवास के बाद पुत्रियों धापा, सोना देवी, केशर देवी ने अपनी सम्पूर्ण हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 01 ठडूराम व अपनी माता रामी के पक्ष में तर्क कर दिया था। इसलिए विवादित भूमि का विरासस्तन इंतकाल रामी के नाम ब.हि.ब. दर्ज हुआ। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में भी यह भूमि स्वर्गीय पालाराम की पत्नी रामी व उनके पुत्र ठडूराम के नाम ब.हि.ब. खातेदारी दर्ज है। स्व. पाला की पत्नी रामी व उक्त तीनों पुत्रियों का भी स्वर्गवास हो गया है। मृतक पुत्रियों के वारिसान गौणप्रतिवादी संख्या 01 ता 22 है। वादी स्वर्गीय पाला व रामी का पड़पौत्र व प्रतिवादी संख्या 01 ठडूराम का पौत्र व गौणप्रतिवादी ईश्वरसिंह का पुत्र है। गौणप्रतिवादी 24 वादी की बहिन है।

उक्त भूमि वादी की मौरूसी व दादालाई भूमि है। वादी के पड़दादा पाला से प्राप्त विरास्तन व पैतृक दादालाई कृषिभूमि होने से इसमें वादी, प्रतिवादी संख्या 01 ता 10 व गौणप्रतिवादी संख्या 23, 24 का जन्म से हिस्सा बनता है। गौणप्रतिवादी संख्या 01 ता 22 की माताओं द्वारा भूमि तर्क की जा चुकी है अतः इसमें इनका कोई हक हिस्सा शेश नहीं रहा लेकिन दावा में कोई तकनिकी खामी नहीं रहें। इसलिए मृतक पाला व रामी की पुत्रियों स्व. धापा, स्व. सोना देवी व स्व. केशर देवी के वारिसायान को गौणप्रतिवादी संख्या 01 ता 22 संयोजित किया गया है। वादी की पड़दादी रामी के स्वर्गवास के बाद उसके बारहवीं पर वादी, प्रतिवादी संख्या 01 ता 10 व गौणप्रतिवादी संख्या 23, 24 मिल बंटकार एक साथ बैठकर मौखिक पारिवारिक बंटवारा किया जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 07 ता 10 क्रमशः लक्ष्मी देवी, संतोश देवी, प्रमेश्वरी देवी, बिमला व गौणप्रतिवादी अनिता का विवादित भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं रहा। इन्होने अपना हिस्सा वादी, प्रतिवादी संख्या 01 ता 06 व गौणप्रतिवादी संख्या 23 के पक्ष में हक त्याग कर दिया। बंटवारानामा के अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 ता 06 प्रत्येक का 1/7, 1/7 हिस्सा तथा वादी व गौणप्रतिवादी संख्या 23 प्रत्येक का 1/14, 1/14 हिस्सा रखा गया। उक्त पारिवारिक बंटवारा के अनुसार वादी

1/14 हिस्सा भूमि का खातेदार हो गया है लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में अंकन नहीं हुआ है। अतः वादी के 1/14 हिस्सा की घोशणा के लिए यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रतिवादी संख्या 01 ता 10 व गौणप्रतिवादी संख्या 01 ता 24 विवादित भूमि में वादी का 1/14 हिस्सा स्वीकार तो कर रहें है तथा वादी के हक में घोषणा के लिए पहले तो हां करते रहें लेकिन दिनांक 30.12.2023 को उन्होने तहसील कार्यालय में चलकर भूमि वादी के नाम करवाने से असमर्थता जाहिर की तथा न्यायालय में दावा पेश करने को कहा। अतः उक्त दिनांक ही वाद कारण है तथा वादाधार वादी को कृषि भूमि दादालाई व पैतृक होने से प्राप्त है। अतः विवादित कृषि भूमि खसरा नं 117 तादादी 07.4732 हैक्टयेर, खसरा नं. 127 तादादी 0.8472 हैक्टेयर कुल तादादी 8.3204 हैक्टेयर रोही ढ़ाणा पट्टा राजपुरा तहसील तारानगर में वादी व गौणप्रतिवादी संख्या 23 को ब.हि.ब. 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 ता 06 को ब.हि.ब. 6/7 हिस्सा के खातेदार व काबिज काश्तकार घोषित किये जावें तथा इस भूमि के राजस्व रिकार्ड से मृतक रामी का नाम कलमजन किया जावें।

इस प्रकार वादी ने वाद पेश कर विवादित कृषिभूमि में अपने खातेदारी घोशणा का अनुतोश चाहा। वाद पत्र प्रस्तुत होने पर इस दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 ता 10 व गौणप्रतिवादी संख्या 01 ता 24 का वकालतनामा श्री सूर्यप्रकाश सहारण ने पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सख्या 11 तहसीलदार तारानगर राजपैरोकार उपस्थित आयें।

राजपैरोकार ने जाहिर किया कि प्रकरण पैतृक भूमि के बंटवारा का होने से इसमें राजहित प्रभावित नहीं होता। अन्य प्रतिवादीगण ने जवाब इकबाल दावा पेश किया। बार—बार समय दिया जाने पर भी राजपैरोकार ने जवाब पेश नही किया। इसलिए दिनांक 09.04.2025 को तहसीलदार तारानगर का जवाब दावा बन्द किया गया। इस प्रकार दावा का कोई खण्डन भी पेश नहीं हुआ है अतः तनकी कायम नहीं की गई। पत्रावली साक्ष्य वादी में रखी जाकर तारीख पेशी 25.04.2025 मुकर्रर की गई। वकील पक्षकारान ने साक्ष्य नही कराने चाहे तथा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर दावा डिक्री करने का निवेदन किया गया।

उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिया कि विवादित भूमि पूर्व में उसके पड़दादा स्व. पाला की खातेदारी रहीं है। प्रतिवादी संख्या 01 व स्व. रामी के नाम विरास्तन दर्ज हुई है। स्व. पाला की पुत्रियों ने हक त्याग दिया था। बंटवारा नामा में प्रतिवादी संख्या 07 ता 10 व गौणप्रतिवादी 24 ने भी अपना हक छोड़ दिया। बंटवारा में वादी को अपने पिता के साथ ब.हि.ब. 1/7 हिस्सा भूमि तथा प्रतिवादी संख्या 01 ता 06 को 1/7, 1/7 हक दिया गया है। इसी हक अनुसार वादी के 1/14 हिस्सा की घोशण की जावें। प्रतिवादी संख्या 01 ता 06 व गौणप्रतिवादी संख्या 01 ता 24 के अधिवक्ता ने वकील वादी की बहस का समर्थन किया।

वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष ने अपने दावा व इकबालदावा सें विवादित भूमि को स्व. पाला से विरास्तन प्राप्त होना स्वीकार किया है। प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड इंतकाल संख्या 56 दिनांक 19.07.1982 से विवादित भूमि वादी के पड़दादा स्व. पाला की होना प्रमाणित है। विवादित आराजी विरास्तन होने से हिन्दू

उत्तराधिकार अधिनियम से इसमें प्रत्येक वारिस का हक बनता है। गौणप्रतिवादी संख्या 01 ता 22 की माता व गौणप्रतिवादी सख्या 24 ने इकबाल दावा से अपना हिस्सा तर्क करना भी स्वीकार किया है। हक त्याग के बाद वादी, प्रतिवादी संख्या 01 ता 06 व गौणप्रतिवादी संख्या 23 का हक ही शेष रहा है। गौण प्रतिवादी 23 सहित अन्य वाद पक्षकारान ने भी वादी का 1/14 हिस्सा स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। इस प्रकार वादी ने अपने वाद को बखूबी प्रमाणित किया है। अतः वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

–::<u>आदेश</u>::–

अतः वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषित किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि खसरा नं 117 तादादी 07.4732 हैक्टयेर, खसरा नं. 127 तादादी 0.8472 हैक्टेयर कुल तादादी 8.3204 हैक्टेयर रोही ढ़ाणा पट्टा राजपुरा तहसील तारानगर में वादी सुनिल कुमार पुत्र ईश्वरसिंह 1/14, गौणप्रतिवादी संख्या 23 ईश्वरसिंह पुत्र ठडूराम ब.हि.ब. 1/14 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01 ता 06 क्रमशः ठडूराम, भंवरलाल, कृष्णसिंह, महावीरसिंह, सत्यवीर एवं राजेन्द्रसिंह ब.हि.ब. 6/7 हिस्सा के खातेदार व काबिज काश्तकार है। तहसीलदार तारानगर को आदेश है कि वह विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड से मृतक रामी का नाम कलमजन कर उक्तानुसार खातेदारी दर्ज करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 30/04/15 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)